

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / एनआरएचएम / जीएनएम / 216 / 2017 /

दिनांक:

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बाडमेर।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 6207 / 2009 में पारित निर्णय दिनांक
07.12.2016 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है श्री हरीष पुत्र श्री वासुदेव ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 6207 / 2009 में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2016 की पालना में एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक 238 दिनांक 04.08.2017 द्वारा बाडमेर जिले की वरियता सूची के क्रम संख्या 83 पर उनका वरियतानुसार / नियमानुसार चयन ओबीसी पुरुष के पद विरुद्ध किया गया।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना में श्री हरीष (ओबीसी पुरुष वर्ग) को एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर जीएनएम हेतु, पूर्व में प्रेषित अनुबंध की शर्तों की पालना कराते हुए आदेश जारी होने के 7 दिवस में कार्यग्रहण कराते हुए पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 16/11/17

क्रमांक :- नर्सिंग / एनआरएचएम / जीएनएम / 216 / 2017 / 293

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजि सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम, मुख्यालय।
3. परियोजना निदेशक (एनएचएम), मुख्यालय।

4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर